

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक: 92/25

दिनांक 25-9-25

- :: निर्णय :: -

प्राथी श्री कालूलाल पुत्र/पुत्री/पति गणेश ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बलद्वारपुर पटवारी मण्डल डूंडवा तहसील छबड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 32 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति चमार अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से मेधवाल अंकित किया जावे। प्राथी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी डूंडवा से करवाने पर पटवारी ने चमार के बजाय मेधवाल करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में चमार के बजाय मेधवाल करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर भा.नं. 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम बलद्वारपुर के खाता संख्या 32 में खातेदार/गैरखातेदार की नाम/जाति चमार के स्थान पर सम्मानजनक रूप से मेधवाल दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार गणराज रिकार्ड में दुरुस्ती करें।


 उपखण्ड अधिकारी
 (Land Record Officer)
 छबड़ा जिला बारां
 उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारां)